चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान
गाँधी–ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141–2228066, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : rmsc@nic.in

क्रमांक : F-08 ( ) PA JS/M&H/2013/ 1555 दिनांकः 20-11-13

परिपत्र

मंत्री मण्डलीय ज्ञापन संख्या 20(3) PH/G-2/2011 दिनांक 31.03.2011 की अनुपालना में राजस्थान सरकार द्वारा आवश्यक औजारो,उपकरणों एवं अन्य अस्पताल सामानों आदि (Essential equipments,instruments and other hospital supplies) तथा भेषज एवं औषधियों आदि (Essential medicines,surgicals,sutures and consumable) की आपूर्ति प्रतिस्पर्धा दरों पर क्रय किये जाने के उद्देश्य से राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम का गठन किया गया।

चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं, परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग आदि के चिकित्सालयों हेतु आवश्यक औजारो एवं उपकरणों का केन्द्रीयकृत क्रय एवं प्रबन्धन एवं वार्षिक रख रखाव के अनुबन्ध का कार्य राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम के माध्यम से उपकरण क्रय की प्रकिया निम्न प्रकार हैं :–

1. राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम द्वारा सिर्फ आवश्यक चिकित्सा उपकरणों एवं औजारों तथा अन्य चिकित्सकीय आपूर्ति की सूची (Essential Equipment List) मे सम्मिलित उपकरणों एवं अन्य आइटमो के क्रय की कार्यवाही की जावेगी।
2. वित्त विभाग ने अधिसूचना संख्या जयपुर, सितम्बर 4, 2013 द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 6 की उप–धारा (2) द्वारा भी अधिसूचित किया है कि चिकित्सा उपस्कर, उपकरण और अन्य अस्पताल आपूर्ति में राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड (आर.एम.एस.सी.एल) को उसके विषय वस्तु के उपापन के लिये अधिमान दिया जाएगा।
3. चिकित्सा ,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग आदि को उपकरणों की मांग अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से बजट प्रावधान के तुरंत बाद निगम को प्रस्तुत कर देनी चाहिए। इससे समय पर निविदाये जारी कर वित्तीय वर्ष में ही उपकरण आपूर्ति करने में सुविधा रहेगी।
4. उपकरण की कीमत, कर एवं निगम के चार्जेज का विवरण वेबसाइट www.rmsc.nic.in पर अनुमोदित दर अनुबन्ध सूची में उपलब्ध है। सम्बन्धित मांगकर्ता / प्रभारी चिकित्सा संस्थान को मांग प्रेरित करने से पूर्व इसका भली भांति अवलोकन कर लेना चाहिए।
5. मांगकर्ता चिकित्सा संस्थान अस्पताल प्रभारी संलग्न मांग–पत्र (Indent For) में मांग विवरण भिजवायेंगे। मांग–पत्र के साथ आवश्यक राशि भी निगम के बैंक खाता संख्या 2246002100024414 पंजाब नेशनल बैंक , जवाहर नगर शाखा, जयपुर , I.F.S code PUNB 0224600 में जमा करवाकर रसीद संलग्न करेंगे अथवा प्रबन्ध निदेशक आर. एम.एस.सी के नाम जयपुर में देय डी.डी. संलग्न किया जावे।
6. राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम के चार्जेज बुनियादी कीमत + कर आदि की कुल राशि पर 5 प्रतिशत की दर से देय होंगे। निगम चार्जेज की राशि जोड़कर धनराशि हस्तान्तरित की जावें।
7. चिकित्सा संस्थानों के प्रभारी अधिकारी यथा प्राचार्य,अस्पताल अधीक्षक, सी.एम एण्ड एच.ओ एण्ड पी.एम.ओ आदि उपकरणो की मांग अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से अथवा उन्हें सूचित करते हुए राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम को भिजवाएगें।
8. मांग प्राप्त होने तथा राशि हस्तान्तरण की पुष्टी उपरान्त आपूर्ति आदेश दर अनुबन्धित फर्म को आर.एम.एस.सी द्वारा जारी किये जायेंगे। उपकरणों की दर अनुबन्धित फर्म द्वारा आपूर्ति सीधे ही मांगकर्ता संस्थान (consignee) को की जावेगी। संम्बन्धित प्राचार्य,अस्पताल अधीक्षक, सी.एम एण्ड एच.ओ एण्ड पी.एम.ओ आदि अथवा उनके प्राप्तकर्ता प्रभारी अधिकारी निरीक्षण कर उपकरणों तथा सामानों की आपूर्ति लेकर मूल बिल पर निम्न प्रमाण–पत्र अंकित करेगा:–

It is certified that the item .... is received in good condition as per specification of rate contract and installed/commissioned satisfactorily. The stores are entered at page no .... dated.................... of stock register. The bill/invoices is verified for payment.

(Signature)
Store officer/keeper

(Signature)
In charge officer
of hospital/ Institute
with seal

आपूर्तिकर्ता फर्म तीन प्रतियों में बिल संस्थान प्रभारी (consignee) को प्रस्तुत करेगा। प्राप्तकर्ता(consignee) उपरोक्त प्रमाण–पत्र अंकित कर मूल बिल एवं द्वितीय प्रति आपूर्ति कर्ता फर्म को लौटा देगा अथवा सीधे ही निगम को भिजवायेगा। प्रमाणित बिलों के आधार पर राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम द्वारा आपूर्तिकर्ता फर्म को भुगतान किया जावेगा।

9. अविलम्ब आपूर्ति प्राप्त करना एवं बिलों का प्रमाणीकरण किया जाना प्रभारी अधिकारी, चिकित्सा संस्थान का दायित्व होगा।

10. आवश्यक चिकित्सा उपकरणों एवं औजारों तथा अन्य चिकित्सकीय सामानों की सूची (Essential Equipment List) एवं उपकरण उपापन नीति एवं प्रक्रिया (Equipment Procurement Policy & Procedure) का विस्तृत विवरण राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम की वेबसाइट www.rmsc.nic.in पर भी उपलब्ध है।

11. जिन उपकरणो एवं औजारो का दर अनुबन्ध उपलब्ध नही है उनकी निविदा प्रक्रिया में 2 से 3 माह का सम्भावित समय लगता है। अत मांग कर्ता अधिकारी समय पर मांग प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। दर अनुबंधित (Rate Contract) उपकरणों की आपूर्ति अवधि क्रय आदेश जारी होने से 75 – 90 दिवस है।

12. यदि आवश्यक हो तो कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.) , राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम , जयपुर से दूरभाष नम्बर 0141–2223887 अथवा हेल्पलाइन नम्बर 0141–2225885 पर सम्पर्क किया जा कर जानकारी ली जा सकती है।

यह परिपत्र प्रमुख शासन सचिव महोदय से अनुमोदित है।

(डा. समित शर्मा) आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक
राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम
एवं पदेन संयुक्त शासन
सचिव चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य विभाग राजस्थान

क्रमांक : F-08 ( ) PA JS/M&H/2013/ 1555 दिनांक: 20-11-13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर
2. निदेशक जन.स्वा. / आर.सी.एच / एड्स अस्पताल प्रशासन / मोबाईल सर्जिकल यूनिट / ई.एस.आई. /आई.ई.सी.
3. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं समस्त अधीक्षक सम्बद्ध चिकित्सालय
4. विशेषाधिकारी , चिकित्सा शिक्षा विभाग , जयपुर
5. संयुक्त निदेशक ,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोन जयपुर / जोधपुर /उदयपुर / बीकानेर / अजमेर / कोटा / भरतपुर
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
7. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी

प्रबन्ध निदेशक
राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम
एवं पदेन संयुक्त शासन
सचिव चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य विभाग राजस्थान